

राजस्थान – सरकार

शिक्षा विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ 4 (क्ष. का.ज.) निकाशि/2011 / 92

दिनांक 24-2-2012

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 186 दिनांक 17.2.2012 की निरन्तरता में राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम (RVRES) 2010 के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा/राजकीय महाविद्यालय में उपस्थित अशैक्षणिक कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 29.2.2012 तक अनुदानित महाविद्यालय में उपस्थित रहकर अशैक्षणिक कर्मचारियों का सेवाभिलेख को विभाग के पत्रांक 91 दिनांक 24.02.2012 (विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार निदेशालय से प्राप्त कर शैक्षणिक कार्मिको के साथ ही अशैक्षणिक कार्मिको का सेवाभिलेख भी पूर्ण करवा कर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

Sd.

निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
क्रमांक :- एफ 4 (क्ष. का.ज.) निकाशि/2011 /

दिनांक

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासन / अनुदान कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय/समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय।
4. सचिव प्रबन्ध समिति समस्त अनुदानित महाविद्यालय, राजस्थान।
5. वेबसाईट प्रभारी कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

21/2/12

सहायक निदेशक

क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर